

दिनांक 21.05.2018

वकील उभय पक्ष उप0। प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वकील अप्रार्थी को काई एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन मुन्तकिली प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।



जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official